न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/27ए/2017

वृन्दावन सिंह पुत्र श्री दरवा जाति जाट निवासी नगला हरंचद तहसील व जिला भरतपुर
....अपीलान्ट

बनाम

1–रोहनसिह । पुत्रान दरवा जाति जाट निवासी नगला हरचंद
2–राजेन्द्र विधिक मृत। तहसील व जिला भरतपुर
3–बृजदेई पुत्री दरबा ।

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 28–12–2010 नामान्तकरण संख्या 97 बाके ग्रांम नगला हरंचद तहसील भरतपुर

———————

निर्णय दिनांक 30.11.2017

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 1419 दिनांक 8.2.2017 ग्रांम जघीना न.2 तहसील भरतपुर दिनांक 8–2–2017 तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। अपीलान्ट अभिभाषक एवं रेस्पो. के अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया गया। नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 28.12.2010 नियम विरुद्व स्वीकार किया गया है। अपील देर से पेश करने के लिये उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी नकल लेने की दिनांक 25.3.2011 को हुई देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है अतः देरी को माफ करने की प्रार्थना की गई है। नामान्तकरण में अंकित सजरा गलत बनाया गया है राजेन्द्र को मृत गलत लिखा गया है क्यों कि राजेन्द्र कुछ समय से गायब हो गया है। सिविल न्यायालय से भी उसकी मृत्यू की उपधारण दिनांक की गई है। उनका तर्क है कि ग्रांम पंचायत को विरासत का नामान्तकरण के निर्णित करने का क्षेत्राधिकार है यदि 45 दिन के लम्बन तक निर्णित नहीं किया जाता है तो ही तहसीलदार को अधिकार क्षेत्र बनता है। बिना क्षेत्राधिकार के तहसीलदार ने नामांन्तकरण तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण व उत्तरवादी संख्या 1 मृतक दरबा के स्थान पर

...2

Web Copy - Not Official

समभांग प्रत्येक के उत्तराधिकारी है और इसी प्रकार आराजी का समभाग अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं इस लिये अपीलाधीन आदेश गलत है। बहिन द्वारा एक भाई के हक में गलत रिलीज की गई है जब कि उसमें सभी को हक हिस्सा मिलना चाहिये। तहत न्यायालय ने नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व मजमें आम में कोई जांच नहीं की को सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 2005 पेज 270 एवं राजस्व विभाग ग्रुप–4 जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 9.9.81 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपील गलत तथ्यों पर पेश की गई है। उनका कहना है कि अपीलान्ट स्वयं ने अपना 1/3 हिस्सा मानते हुये विभाजन हेतु दावा पेश कर रखा है, जो आज भी विचाराधीन है। इसलिये ये अपील मेन्टेनेविलि नही है। उनका तर्क है कि दावा के पूर्व मृत पुत्र राजेन्द्र के सम्बन्ध में दावा दीवानी संख्या 251/2005 रोहनसिंह बनाम वृन्दावनसिंह वगे. दिनांक 27.5.2010 को डिक्री हो चुका है जिसमें राजेन्द्र को मृत घोषित किया जा चुका है। विवादित नामान्तकरण दरवा के जीवित तीन वारिस रोहनसिंह, वृन्दावसिंह वृजदेई के हक में तस्दीक किया गया है इन तीनों के अलावा अन्य कोई वारिस दरवा उर्फ दरब सिंह के नहीं है दाखिल खारिज विधिसम्मत पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि पक्षकारान के बीच विभाजन के विचाराधीन दावा में जो निर्णय होगा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो जावेगें। योग्य अभिभाषक ने अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोन किया अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मैरिट पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति को मध्य नजर रखते हुये पत्रावली में उपलब्ध नकल दस्तावेजात का अध्ययन किया गया, तथा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 28.12.2010 पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरित रुलिंग का अध्ययन किया गया। विवादित नामान्तकरण मृतक दरबा के विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण में अंकित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लिये जाकर पक्षकारान के विवादित आराजी पर हक हकूक तैय होने हैं। इस बात को दोनों ही पक्षकारान स्वीकार करते हैं।

विवादित नामान्तकरण में अंकित मृतक की आराजी पर दोनों पक्षकारान के मध्य हक हकूकों की लड़ाई है। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकिल प्रोसिंडिग है। इस में किसी के हक हकूक तैय नहीं होते हैं।

आर.आर.डी. 2005 पेज 85 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि:–

> **''........ Rajasthan land Revenue Act, Section 135- Revision against order of Addl.Commmissioner- Held,dispute about succession of the deceased is very old and suit No.403/84 is pending in the court of Asstt.Collector, u/s88,188 R.T,Act- Mutation No 900 attested by Tehsildar after enquiry-Mutation proceeding is fiscal proceeding-Matter relating to will,gift,and succession cannot be decided by mutation proceedings-Rights of the parties will be decided in the pending suit by the court-It is not proper to investigate about mutation when suit is pending......"**

पक्षकारान के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद में जबाब, तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य, सबूत वगेरा लेकर पक्षकारान के विवादित आराजी पर हक हकूक तैय होने हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस तहसीलदार भरतपुर को लौटाई जावे।

निणर्य आज दिनांक 30.11.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Web Copy - Not Official